

From

Director Higher Education,
Haryana, Panchkula.

To


All Principals, posted in Govt. Colleges,
in the State of Haryana.
Memo No. 12/01-2019 Ad(2)
Dated: 16-1-2025

**Subject: Regarding designing and distributing the poster of the Preamble
of the Constitution by framing it.**

Kindly refer to the subject noted above.

A copy of letter no. 756, dated 16.01.2025 received from Director
General Information, Public Relations and Languages Department, Haryana,
Chandigarh is sent herewith for information and strict compliance.

Enclosed : As above.


16/01/25
Superintendent Administration
for Director Higher Education Haryana,
Panchkula

To

Incharge,
IT Cell, HQ for uploading on portal. →

प्रेषक,

महानिदेशक,
सूचना, जन संपर्क एवं भाषा विभाग, हरियाणा।
चण्डीगढ़।

सेवा में,

- 1 सभी अतिरिक्त मुख्य राचिव, हरियाणा सरकार,
- 2 राज्य के सभी आयुक्त,
- 3 सभी जिलों के उपायुक्त,
- 4 सभी विभागाध्यक्ष,

कमाक -2025/ 756

दिनांक चण्डीगढ़ 16-01-2025


विषय:-

संविधान प्रस्तावना के पोस्टर का डिजाइन फ्रेम करवाकर वितरित करने बारे।

जैसा कि विदित है कि दिनांक 17.01.2025 को राज्य स्तरीय संविधान प्रस्तावना वाचन (Reading of Preamble of Constitution) कार्यक्रम का आयोजन जिला करनाल में किया जाना है।


इस संदर्भ में मुझे आपको यह सूचित करने के निर्देश प्राप्त हुए हैं कि आपको संविधान प्रस्तावना के पोस्टर का डिजाइन PDF format में भेजा जाए ताकि आप इस संविधान प्रस्तावना के पोस्टर को फ्रेम करवाकर आज ही (16.01.2025) अपने अधीनस्थ सभी विभागों में लगवाना सुनिश्चित करें।

संलग्न:- संविधान प्रस्तावना का पोस्टर

 16/1/25

संयुक्त-निदेशक (विज्ञापन/प्रिंट मीडिया)
कृते: महानिदेशक, सूचना, जन संपर्क एवं भाषा
विभाग, हरियाणा, चण्डीगढ़।

भारत का संविधान



भारत के लोग, भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व-संपन्न, समाजवादी, पंथनिरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए, तथा उसके समस्त नागरिकों को :

सामाजिक, आर्थिक और राजनैतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त कराने के लिए, तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढसंकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा में आज तारीख 26 नवम्बर 1949 ई. (मिति मार्गशीर्ष शुक्ला सप्तमी, संवत् दो हजार छह विक्रमी) को एतद्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं।